

**SITE INSPECTION REPORT- NOT BELOW THE RANK OF DCF
(for the forest land to be diverted under FCA)**

A proposal has been received by this office from EE P.M.G.S.Y.I.D Purola, Uttarkashi (Uttarkhand) for diversion of 1.346 ha under of forest land for non-forestry purpose. The project envisages the use of forest land for construction of visit NH 94 Kharadi nagangaon km 9 to Bachangaon motar road. The site inspection of the land involved in the proposal has been done by me on dated.....18-11-2016

On inspection of the site, it is found that the land required by the user agency is a RF/PF/un-classed/Other forests measuring 1.346 ha.

The requirement of forest land as proposed by the user agency in Co1.2 part-1 is unavoidable and is barest minimum required for the project. Yes

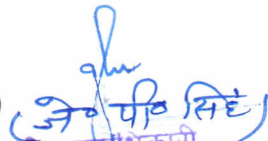
Whether any rare /endangered /unique species of flora and fauna found in the area. If, so the details there of :-No

Whether any protected archeological /heritage site/defence establishment or any other important monument is located in the area, if, so the details thereof with NOC from competent authority, if required.-

- a) The user agency has not violated the provisions of forest (Conservation), Act 1980 and no work has been started without proper sanction. (Yes)
- b) As such recommendation is been provided

Recommendation for sanction

Place:- काइकोट
Date:- 18-11-2016

(Signature) 
प्रशासीय वसंधिकारी
Name.....
Designation.....
Office Seal.....

N.B. x State the purpose for which the forest land is proposed to be diverted.
xx out of(a) and (b) tick the option which is applicable and cross the option which is not applicable.

As per letter number 2-2/2000 FC dated 16-10-2000 from ministry of Environment & Forest, Government of India for proposal involving less than 40 hectares of forest land, the site inspection report from DCF is required and for proposal involving more than 40 hectares of forest land site inspection report from the conservation of forests is required.

प्रारूप-6
प्रारम्भिक संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट

दिनांक 26.09.2016 को सिंचाई खण्ड, पी०एम०जी०एस०वाई०, पुरोला के द्वारा एन.एच.94 खरादी नगाणगांव किमी 9 से बचाणगांव तक बनाये जाने वाले मोटर मार्ग/प्रस्तावित परियोजना को बनाये जाने हेतु स्थल निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय वन विभाग की ओर से श्री श्री हींगा लाल, वन दरोगा, राजस्व विभाग की ओर से श्री दिनेश रावत राजस्व उपनिरीक्षक, प्रस्तावक विभाग की ओर से श्री सदीप जयाडा, कनिष्ठ अभियंता, अन्य दावेदारों की ओर से श्री सामाजिक कार्यकर्ता ग्राम बचाणगांव तथा स्थानीय प्रतिनिधि के रूप में ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत बचाणगांव के द्वारा प्रश्नगत परियोजना को बनाने हेतु सर्वश्रेष्ठ स्थल/समरेखन के चयन तथा अन्य वैकल्पिक स्थलों/समरेखनो के चयन हेतु भाग लिया गया।

संयुक्त निरीक्षण में पाया गया कि सामाजिक आवश्यकता, परिस्थितिक आवश्यकता, आर्थिक मितव्यता तथा तकनीकी आवश्यकता के दृष्टि से जो समरेखन/स्थल सर्वथा उपयुक्त पाया गया है इसमें 2375.00 (मी०) नाप भूमि, 475.00 (मी०) सिविल भूमि, 275 (मी०) वन पंचायत से, 1175.00 (मी०) आरक्षित वन भूमि प्रभावित होगी एवं इस समरेखन/स्थल के चयन में कुल 2.137 हे० नाप भूमि, 0.332 हे० सिविल भूमि, 0.192 हे० वन पंचायत भूमि, 0.822 हे० आरक्षित वन भूमि की आवश्यकता होगी। जिनमें से कुल 1.346 हे० भूमि के हस्तान्तरण की आवश्यकता होगी एवं मक डिस्पोजल हेतु 0.377 हे० नाप भूमि की आवश्यकता होगी। इस समरेखन पर/चुने गये स्थल पर लगभग 36 वृक्ष प्रजाति के इस परियोजना के निर्माण से प्रभावित होंगे।

इस समरेखन की तुलना में जो वैकल्पिक समरेखन देखे गये उसमें 2145.00 (मी०) नाप भूमि, 960.00 (मी०) सिविल भूमि से, 450 (मी०) वन पंचायत से, 2145.00 (मी०) आरक्षित वन भूमि प्रभावित होगी एवं इस समरेखन/स्थल के चयन में कुल 1.188 हे० नाप भूमि, 0.385 हे० सिविल भूमि 0.287 हे० वन पंचायत भूमि 1.501 हे० आरक्षित वन भूमि की आवश्यकता होगी। जिनमें से कुल 2.173 हे० भूमि के हस्तान्तरण की आवश्यकता होगी। इस समरेखन पर/चुने गये स्थल पर लगभग 188 वृक्ष विभिन्न प्रजाति के इस परियोजना के निर्माण से प्रभावित होंगे, जिनमें से 10 बांज प्रजाति के प्रभावित होंगे।

अतः परियोजना के निर्माण हेतु चयनित विकल्प संख्या प्रथम के वन भूमि के अतिरिक्त अन्य वैकल्पिक एवं उपयुक्त भूमि उपलब्ध नहीं है तथा इस चुने गये वन भूमि की मांग न्यूनतम है।

चयनित उपयुक्त स्थल/समरेखन आरक्षित वन 01 कक्ष से गुजरेगा/में स्थित है। इस कक्ष की वर्तमान वन आच्छादन सामान्य है एवं इस कक्ष में विभिन्न प्रजाति के वन हैं। प्रभावित होने वाली नाप भूमि 2.137 हे० पर शून्य प्रजाति के वन हैं एवं प्रभावित होने वाली सिविल भूमि पर चीड़ प्रजाति के वन हैं जिनका वर्तमान वन आच्छादन 0.20 है। चुने गये समरेखन का प्रारम्भ होने के स्थल का GPS मान 30°52'46.01"N, 78°14'28.22"E है तथा यह स्थल खरादी नगाणगांव मोटर मार्ग के अंतिम बिन्दु से प्रारम्भ होता है तथा समरेखन का अन्तिम स्थल ग्राम बचाणगांव है जिसका GPS मान 30°54'16.48"N, 78°14'15.81"E है। चुने गये समरेखन/स्थल के बीच के स्थलों के GPS मान (1) 30°53'52"N, 78°14'26.22"E (2) 30°53'52"N, 78°14'26.22"E (3) 30°52'52.12"N, 78°14'27.22"E हैं।

चयनित समरेखन में कुल शून्य पौधों को अन्य स्थानान्तरित जतदेसवबंजमद्ध किया जाना आवश्यक होगा।

चयनित उपयुक्त स्थल/समरेखन किसी राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य का हिस्सा नहीं है।

चयनित उपयुक्त स्थल/समरेखन के चयन से ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं होगा।

इस समरेखन पर मोटर मार्ग निर्माण के निर्माण के दौरान जो मलवा उत्सर्जित होगा उसके निस्तारण हेतु 03 स्थल उपयुक्त पाये गये हैं जिनका GPS मान (1) 30°52'52.12"N, 78°14'27.22"E, (2) 30°53'26.55"N, 78°14'37.96"E, (3) 30°53'58.64"N, 78°14'23.82"E हैं।

अन्य आवश्यक विवरण :- उपरोक्त मोटर मार्ग के निर्माण से स्थानीय ग्रामवासियों को मोटर मार्ग यातायात की सुविधा प्राप्त होगी एवं साथ ही स्थानीय कास्तकार मोटर मार्ग के द्वारा अपनी नगदी फसलों को कम दुलान दरों पर स्थानीय मण्डियों में विपणन हेतु पहुँचा पायेंगे, इससे क्षेत्र का आर्थिक एवं सामाजिक विकास होगा।

सहायक अभियंता
पी.एम.जी.एस.वाई,
सिंचाई खण्ड, पुरोला
(उत्तरकाशी)

उपप्रभागीय वनाधिकारी
अपर यमुना वन प्रभाग
बडकोट

उपराजस्व निरीक्षक,
सामाजिक कार्यकर्ता

ग्राम प्रधान

प्रभागीय वनाधिकारी
अपर यमुना वन प्रभाग
बडकोट (उत्तरकाशी)

वन क्षेत्राधिकारी
रवाई वन राजि
बडकोट उत्तरकाशी

उपप्रभागीय वनाधिकारी
अपर यमुना वन प्रभाग
बडकोट

जिलाधिकारी

01050
7814142722